# UTTARAKHAND ENERGY CONSERVATION BUILDING CODE - 2017

## Government Orders & Notifications

**Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA)**

Department of Renewable Source of Energy, Govt. of Uttarakhand

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग
संख्या 870 /I/2013-01(3)/17/05
देहरादून, दिनाँक : 21 मई, 2013

# अधिसूचना

राज्यपाल, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 52 वर्ष 2001) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय में विद्यमान समस्त आदेशों/निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा के दक्षता पूर्वक उपयोग तथा उसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करते हैं :-

## उत्तराखण्ड ऊर्जा का दक्ष उपयोग तथा उसके संरक्षण से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा का दक्ष उपयोग तथा उसके संरक्षण से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, 2013 है।

(2) ये दिशा-निर्देश तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

सौर जल तापन प्रणाली का अनिवार्य उपयोग

2. (1) राज्य में अवस्थित निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के प्रतिष्ठानों एवं भवनों में सौर जल तापन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य होगा, अर्थात्-

(क) प्रसंस्करण हेतु गर्म पानी की आवश्यकता वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान;

(ख) सरकारी अस्पतालों सहित अर्द्धसरकारी तथा निजी अस्पताल और नर्सिंग होम;

(ग) होटल, मोटल्स और बैंक्वेट हॉल;

(घ) जेल बैरक, कैंटीन;

(ङ) ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवास बोर्ड द्वारा स्थापित आवासीय परिसर;

(च) राज्य के नगर निकायों की सीमा के अन्तर्गत 500 वर्ग गज या इससे अधिक भूमि खण्डों में निर्मित भवन;

(छ) सभी सरकारी भवन, आवासीय स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण

संस्थान, पर्यटन परिसर और विश्वविद्यालय आदि।

(2) सर्वोत्तम रूप से डिज़ायन की गई गुणवत्ता पूर्ण प्रणालियों का संस्थापन सुनिश्चित करने के लिये उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) सौर जल तापन प्रणाली की आपूर्ति और संस्थापना हेतु एक अनुमोदित स्रोत के रूप में कार्य करेगी।

(3) सौर तापन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य बनाने के लिये, शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, आवास विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग आदि सभी पारमारिक विभागों को इन निर्देशों के जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर अपने नियमों/उपविधियों में तदनुसार संशोधन करना अनिवार्य होगा।

(4) निर्धारित प्ररूप में प्रत्येक त्रैमासिक में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) को प्रशासन के निर्णयों के प्रवर्तन की प्रगति की रिपोर्ट करने व मॉनीटर करने के लिये उपनिर्देश (3) में उल्लिखित विभाग एक-एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे।

सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना के लिए सांकेतिक दिशा–निर्देश

3. (1) सौर जल तापन की प्रणाली की क्षमता, भवन विशेष की आवश्यकतानुसार निर्धारित होगी।

(2) (क) नये भवनों में खुली जगह जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, पर प्राविधान किया जाना होगा, छत की भार वहन क्षमता कम से कम 50 कि0ग्रा0 प्रति वर्गमीटर होनी आवश्यक होगी। उक्त श्रेणियों के सभी नए भवनों को उपयोग में लाने से पूर्व इनमें सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना पूर्ण करनी होगी;

(ख)उक्त श्रेणियों के भवनों के उपयोग में परिवर्तन के समय, उपनिर्देश (1) के अनुसार वर्तमान भवन में सौर सहायतित जल तापन प्रणाली की संस्थापना आवश्यक होगी, बशर्ते कि गर्म जल की आपूर्ति हेतु कोई प्रणाली या संस्थापना विद्यमान हो।

(3) सौर सहायतित जल तापन प्रणाली की स्थापना भारतीय मानक विनिर्देश ब्यूरो के मानकों के अनुरूप होगी। सौर प्रणाली में उपयोग किये जाने वाले कलेक्टर भारतीय मानक प्रमाणन (ISI) चिह्न वाले होंगे या फर्म को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE),

भारत सरकार के मंत्रालय के पैनल में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

(4) सभी सौर जल तापन प्रणालियों में स्वचालित इलैक्ट्रिक बैकअप सिस्टम होगा ताकि कम धूप या धूप की अनुपलब्धता/बादल वाले मौसम के दिनों में भी यह संचालन में रहे।

(5) भवन का डिज़ायन बनाते समय ही यह प्राविधान रखा जाना आवश्यक होगा कि उन सभी स्थानों, जहां गर्म जल या गर्म हवा की आवश्यकता है, छत से विभिन्न वितरण पोइन्ट्स तक एक इन्सुलेटेड पाईप लाईन हो।

(6) सौर जल तापन प्रणाली यथा संभव प्राथमिक रूप से भवन की छत पर समेकित की जायेगी ताकि पैनल्स छत का एक अविभाज्य अंग बन जाये। अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त करने के लिये छतों पर सोलर एयर/वाटर कलैक्टर्स/ग्रीन हाउसेज़ और सन स्पेसेज़ की अनुमति होगी।

| | | |
|---|---|---|
| सरकारी भवनों/सरकार सहायतित संस्थानों/परिषदों/निगमों में कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल), एनर्जी एफिशन्ट लाइट्स/रेट्रोफिट एसेंबली का अनिवार्य उपयोग | 4. | (1)(क) सरकारी क्षेत्रों/सरकार सहायतित क्षेत्रों/परिषदों और निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में निर्मित सभी नये भवनों/संस्थानों में तापदीप्त लैम्प्स (Incandenscent Lamp) का उपयोग तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा;<br>(ख) विद्यमान भवनों में दोषयुक्त तापदीप्त लैम्प्स (Incandenscent Lamp) को बदलने पर यह अनिवार्य होगा कि केवल कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल) ही लगाये जायें;<br>(ग) सरकारी क्षेत्रों/सरकार सहायतित क्षेत्रों/परिषदों और निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में निर्मित सभी नये भवनों/संस्थानों में ब्लास्ट के साथ वाली 40 वाट की परम्परागत ट्यूब लाईट्स का उपयोग तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा। ये सरकारी क्षेत्रों/सरकार सहायतित क्षेत्रों/परिषदों और निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाएं केवल ऐसी ऊर्जा बचत वाली ट्यूब लाईट्स का उपयोग करेंगे, जिनका ल्युमन आउटपुट 80lm/w (5 स्टार रेटेड) या इससे अधिक हो;<br>(घ) विद्यमान भवनों में ब्लास्ट के साथ वाली परम्परागत 40 वाट की |

ट्यूब लाईट्स जब बदली जाये तो यह अनिवार्य होगा कि उनके स्थान पर केवल ऐसी कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल), लाईट्स लगाई जायें, जिनका ल्युमन आउटपुट 80lm/w (5 स्टार रेटेड) या इससे अधिक हो;

(ङ) विद्यमान भवन जहां परम्परागत वायर वाउंड बालास्ट्स (चोक्स) के साथ वाली फ्लुअरसेंट ट्यूब्स का उपयोग किया जा रहा है वहां यह अनिवार्य होगा कि इन निदेशों के जारी होने के 12 माह के भीतर इन्हें बदल कर इलेक्ट्रौनिक बैलास्ट्स लाये जायें;

(च) नये संयोजन/भार निर्गत/स्वीकृत करते समय परम्परागत बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इन निदेशों के जारी होने के 2 माह के भीतर ऊर्जा कंपनियां भार मांग नोटिसों में आवश्यक संशोधन करेंगी।

(2) कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल) और टी-5 (28 वाट) ट्यूब लाईटों का अनिवार्य उपयोग:-

(क) 30 कि.वा. या इससे अधिक संयोजित भार वाले सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थापन क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल), और/या टी-5 (28 वॉट), ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाईट्स और/या लाईट एमिटिंग डायओड्स (एलईडी) लैम्प्स का उपयोग अनिवार्य होगा;

(ख) राज्य में स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों में कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल), और/या टी-5 (28 वॉट) ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाईट्स और/या लाईट एमिटिंग डायओड्स (एलईडी) लैम्प्स का उपयोग अनिवार्य होगा। इन श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को अपने संस्थानों में सभी परम्परागत बल्बों और ट्यूब लाईट्स को बदल कर अपनी स्वयं की लागत पर 31 मार्च, 2014 या उससे पहले कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल)/लाईट एमिटिंग डायओड्स (एलईडी) लैम्प्स/टी-5 (28 वॉट) ट्यूब लाईट्स लगाने होंगे।

टिप्पणी: इन निदेशों के अनुपालन न होने पर ऊर्जा कम्पनियों के पास

उपरोक्त समय सीमा की समाप्ति के पश्चात विधिवत् नोटिस जारी करने के उपरान्त विद्युत संयोजन विच्छेदित करने की शक्ति होगी। ऊर्जा कम्पनी का कार्यपालक अभियन्ता (वितरण) इन निर्देशों को लागू करने के लिये प्रवर्तक अधिकारी होगा तथा वह इस संबंध में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) को प्रत्येक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा।

**कृषि क्षेत्र में स्टार लेबल्ड मोटर पम्प सेट्स, पावर कैपेसिटर, फूट/रिफ्लेक्स वाल्वस का अनिवार्य उपयोग**

5. (1) उत्तराखण्ड में सभी नये ट्यूबवेल संयोजनों के लिये आई0एस0आई0 मार्क पम्पस/स्टार लेबल्ड मोटर पम्प एवं उप सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा।

(2) इन निदेशों के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर उत्तराखण्ड की ऊर्जा कम्पनी नये नलकूप संयोजनों के लिये आई0एस0आई0 मार्क पम्प/फुट वाल्वस हेतु भार मांग नोटिसों में संशोधन करेगा।

**ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का उपयोग करने वाले ऊर्जा दक्ष भवन डिज़ायन को बढ़ावा**

6. (1) उत्तराखण्ड की जलवायु संबधी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) विकसित की गई है। ये संहिता उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) की वेबसाईट www.ureda.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(2) सरकारी/सरकारी सहायतित क्षेत्र में निर्मित होने वाले सभी भवन इन निदेशों के दिनांक से अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों सहित ईसीबीसी पर आधारित ऊर्जा दक्ष भवन डिज़ायन को सम्मिलित करेंगे।

(3) सरकारी/सरकारी सहायतित क्षेत्र में भविष्य में निर्मित होने वाले सभी भवनों में आवास विभाग ईसीबीसी पर आधारित ऊर्जा दक्ष भवन डिजायन को सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगा। आवास विभाग में एक, समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि सरकारी/सरकारी सहायतित क्षेत्र में निर्मित होने वाले सभी भवनों की योजनाओं/ड्रॉईंग्स में ऊर्जा दक्ष भवन डिज़ायन की संकल्पना की सभी विशेष बातों को सम्मिलित करना सुनिश्चित किया गया है।

(4) आवास विभाग इन उपायों के समन्वय और अनुश्रवण के लिये एक नोडल अधिकारी नामित करेगा, जो निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट देगा।

| | | |
|---|---|---|
| ऊर्जा दक्ष वाली स्ट्रीट लाईट्स का अनिवार्य उपयोग | 7. | शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचित शहरी क्षेत्रों और सभी विद्यमान तथा नई कालोनियों, आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक सम्पदाओं, आवासीय परिसरों, कॉलोनियों तथा निजी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त संस्थाओं द्वारा विकसित की गई नगरों के लिए टी–5 ट्यूब–लाईट्स/लाईट एमिटिंग डायओड्स (एलईडी) लैम्प्स का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा दक्ष लाईटिंग फिक्सचर्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पथ प्रकाश हेतु उत्तरदायी उपरोक्त संगठनों को स्वयं के व्यय पर 31 मार्च 2014 या उससे पूर्व पारम्परिक स्ट्रीट लाईट्स को बदलना होगा तथा ऊर्जा दक्ष वाली स्ट्रीट लाईट्स लगानी होगी। |

टिप्पणी: इन निर्देशों के अनुपालन न होने पर ऊर्जा कंपनियों के पास उपरोक्त समय सीमा की समाप्ति के पश्चात विधिवत् नोटिस जारी करने के उपरान्त विद्युत संयोजन विच्छेदित करने की शक्ति होगी। ऊर्जा कम्पनी का कार्यपालक अभियन्ता (वितरण) इन निर्देशों को लागू करने के लिये प्रवर्तक अधिकारी होगा तथा यह इस संबंध में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा।

आज्ञा से,

(बी0पी0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

# भवन निर्माण एवं विकास
# उपविधि / विनियम, 2011
(संशोधन 2015)
## उत्तराखण्ड

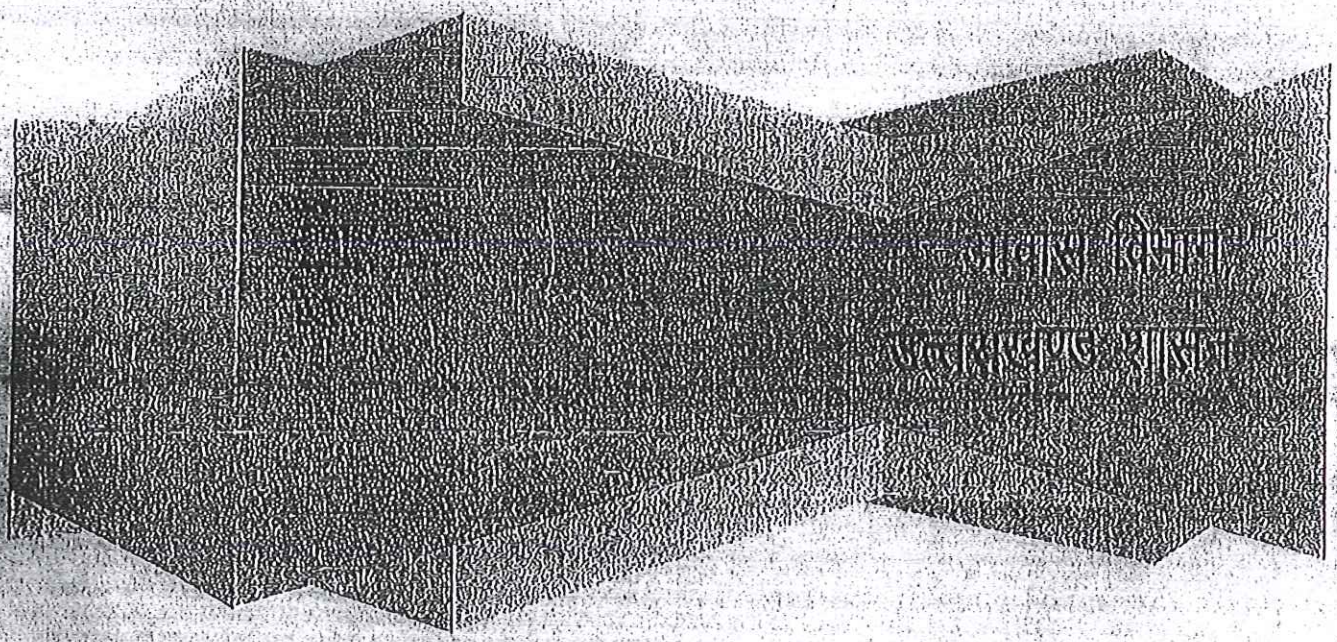

संख्या – ४८८/V–2013–55(आ0)/2006–टी0सी0

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।

देहरादून: दिनांक 12 जून, 2015

आवास अनुभाग–2

विषय: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011(संशोधन, 2015) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

--------

महोदय,

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 को अंगीकृत किये जाने के
सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–2009/V–2011–55(आ0)/2006–टीसी दिनांक
17–11–2011 द्वारा दिशा निर्देश दिये गये।

2. राज्य की भौगोलिक परिस्थिति एवं क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते
हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 पर विचार विमर्श कर इसमें
संशोधन हेतु सुझाव दिये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–334/V–2–2014–55(आ0)/
2006 टी0सी0, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 द्वारा एक समिति का गठन किया गया।
समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया।

3. इस संबंध में शासन के समक्ष प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरांत
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम,
2011(संशोधन, 2015) के अनुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति प्रदान
की जाती है।

4. अतः कृपया संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन,
2015) को यथाआवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने का
कष्ट करें तथा यदि स्थानीय परिशिष्ठ एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि कोई परिष्कार
अपेक्षित हो तो कृपया बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट
करें।

भवदीय,

( डी0एस0 गर्ब्याल )
सचिव।

संलग्नक: यथोक्त।

27/6/15

## खण्ड— 1

## भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम



| | | | |
|---|---|---|---|
| CHAPTER – I<br>अध्याय – 1 | | TITLE AND COMMENCEMENT<br>उपविधि/ विनियम प्रसार | 6 |
| CHAPTER – II<br>अध्याय – 2 | | DEFINITIONS<br>परिभाषाएं | 7–15 |
| CHAPTER – III<br>अध्याय – 3 | | PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BUILDING APPLICATION AND OCCUPATION.<br>भूमि विकास/भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु अनिवार्यताएं | 16–21 |
| CHAPTER – IV<br>अध्याय – 4 | | SITE DEVELOPMENT PARAMETERS FOR BUILDINGS/ PROJECTS OTHER THAN SPECIAL TOWNSHIP | |
| | 4.1 | APPROACH ROAD MINIMUM EXISTING WIDTH / WIDTH AS PER MASTER PLAN<br>पहुँच मार्ग की विद्यमान न्यूनतम चौडाई/महायोजना में निर्धारित चौडाई | 22 |
| | 4.2 | MINIMUM PLOT AREA<br>भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल | 24 |
| | 4.3 | MIXED USE<br>मिश्रित उपयोग की परियोजनाऐं | 25 |
| | 4.4 | SITE LOCATION: OTHER PARAMETERS<br>भूखण्ड हेतु अन्य अपेक्षाये<br>(अ) इलेक्ट्रिक लाइन से दूरी<br>(ब) जल स्रोत से दूरी<br>(स) स्थानीय ढ़ाल पर निर्माण<br>(द) स्थल योजना की अपेक्षा | 25 |
| CHAPTER – V<br>अध्याय – 5 | | GENERAL BUILDING REQUIREMENTS<br>भवन निर्माण हेतु अन्य अपेक्षायें | |
| | 5.1 | HEIGHT OF THE BUILDING भवन की ऊँचाई | 28 |
| | 5.2 | EXTERIOR OPEN SPACES/SET-BACKS<br>(अ) सेट बैक , SETBACKS<br>(ब) दो ब्लॉक के मध्य दूरी<br>DISTANCE BETWEEN TWO BLOCKS<br>(स) सेट बैक में छूटें RELAXATION IN SETBACKS | 30 |
| | 5.3 | OPEN SPACES<br>खुले स्थान | 35 |
| | 5.4 | DISTANCE FROM THE TREES<br>वृक्षों से निर्माण की दूरी | 35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5.5 | GROUND COVERAGE AND F.A.R<br>भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर.<br>(अ) विभिन्न भू–उपयोगों हेतु भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर.<br>(ब) भू–आच्छादन में छूट<br>(स) एफ.ए.आर. की गणना में न सम्मिलित होने वाले क्षेत्र<br>(द) क्षतिपूर्ति एफ.ए.आर. (COMPENSATORY F.A.R)<br>(य) क्रय योग्य एफ.ए.आर. (PURCHASABLE F.A.R) | 36 |
| | 5.6 | PARKING (पार्किंग प्राविधान)<br>(I) पार्किंग एरिया की गणना<br>(II) पार्किंग मानक<br>(III) पार्किंग हेतु अन्य विविध प्राविधान<br>(IV) स्टिल्टर<br>(V) बेसमेंट व सेमीबेसमेंट पार्किंग | 42 |
| | 5.7 | निवास योग्य कमरे | 47 |
| | 5.8 | जीना एवं कॉरीडोर | 47 |
| | 5.9 | घुमावदार जीना | 48 |
| | 5.10 | रैम्प | 49 |
| | 5.11 | चहारदीवारी | 49 |
| CHAPTER – VI<br>अध्याय – 6 | | STRUCTURAL DESIGN AND OTHER REQUIREMENTS<br>स्ट्रक्चरल डिजाइन व अन्य अपेक्षायें | |
| | 6.1 | भूकम्प, अग्नि इत्यादि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान | 50 |
| | 6.2 | फायर एस्केप या वाह्य जीना | 53 |
| | 6.3 | प्राकृतिक जोखिम प्रवृत्त क्षेत्रों में संरचनात्मक संरक्षा हेतु सुसंगत कोड | 54 |
| | 6.4 | सेवाओं के मानक | 54 |
| | 6.5 | वर्षा जल संग्रहण मानक | 55 |
| | 6.6 | वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग | 55 |
| | 6.7 | इनर्जी कन्जर्वेशन | 55 |
| | 6.8 | सोलर वाटर हीटिंग | 55 |
| | 6.9 | शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने हेतु मानक | 56 |
| | 6.10 | क्षैतिज एवं उर्ध्वाकार (Horizontal & Vertical) विस्तार प्राविधान | 56 |

| CHAPTER – VII अध्याय – 7 | | OTHER PROVISIONS भवन निर्माण हेतु अन्य प्राविधान | |
|---|---|---|---|
| | 7.1 | निर्मित क्षेत्र | 57 |
| | 7.2 | आवासीय –एकल आवासीय<br>– मल्टीपल इकाईयॉं (एकल आवासीय प्लॉट हेतु) | 60 |
| | 7.3 | ग्रुप हाउसिंग/उपविभाजन (Group Housing/ Sub-Division layout) | 61 |
| | 7.4 | ग्रुप हाउसिंग हेतु विशिष्ट परियोजना : Affordable Housing | 65 |
| | 7.5 | सामुदायिक सुविधाऐं एवं सेवायें | 67 |
| | 7.6 | ईको रिजोर्ट्स | 68 |
| | 7.7 | सर्विस अपार्टमेंट्स | 69 |
| | 7.8 | औद्योगिक | 70 |
| | 7.9 | मल्टीप्लेक्स | 72 |
| | 7.10 | पुराने सिनेमा: | 73 |
| | 7.11 | नये सिनेमाघर | 74 |
| | 7.12 | मल्टी–लेवल पार्किंग | 75 |
| | 7.13 | हैबिटैट सेन्टर | 76 |
| | 7.14 | फिलिंग स्टेशन/ फिलिंग कम सर्विस स्टेशन–<br>यथा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, बायो डीजल आदि | 77 |
| | 7.15 | किसान सेवा केन्द्र | 80 |
| | 7.16 | एल.पी.जी. गैस गोदाम हेतु अपेक्षाए | 82 |
| | 7.17 | फार्म हाउस | 83 |
| | 7.18 | डेयरीफार्म | 84 |
| | 7.19 | पशु–पक्षी, कीट, मत्स्य पालन, आदि हेतु फार्म हाऊस | 85 |
| | 7.20 | Golf Course And Golf Clubhouse | 86 |
| | 7.21 | Ropeways Terminal Buildings | 88 |

6.5 **वर्षा जल संग्रहण मानक :**

(i) जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड कर अन्य क्षेत्रों में विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत ऐसे सभी अनुमन्य निर्माण कार्यों पर, जिनका भू-आच्छादन 125 वर्गमीटर या अधिक हो वर्षा जल संग्रण का प्राविधान अनिवार्य होगा।

(ii) वर्षा जल संग्रहण हेतु मानक का निर्धारण करते हुये 250 वर्गमीटर तक के आच्छादन पर न्यूनतम 2.0 धनमीटर रेन वाटर हारवेस्टिंग भण्डारण की व्यवस्था अनिवार्य होगी, जबकि इससे अधिक व 400 वर्गमीटर तक 3.5 घनमीटर तथा उसके उपरान्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर अथवा उसके आंशिक भाग की आच्छादित वृद्धि पर न्यूनतम 0.5 घनमीटर अतिरिक्त की दर पर वर्षा जल भण्डारण का प्राविधान आवश्यक होगा।

(iii) यदि 400 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड पर बोर वेल / रिचार्ज गढ्ढा / कुंआ- हैण्ड पम्प / ट्रेन्च द्वारा भूगर्भ रिचार्जिंग का प्राविधान किया जाता है तो उस स्थिति में उक्त मानक में निर्धारित गणना का एक तिहाई भाग भण्डारण हेतु रखना आवश्यक होगा।

(iv) इसके प्रभावी कियान्वयन हेतु आन्तरिक वर्षा जल भण्डारण (रेन वाटर हारवेस्टिंग) के प्राविधान की पुष्टि, प्रश्नगत भवन मानचित्र में करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अभिकरण द्वारा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ जल निकास एवं भण्डारण/ संसरण से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के क्षेत्रफल को भूतल आच्छादन हेतु अनुमन्य क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया जायेगा।

6.6 **वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग**

2.0 हैक्टेयर से अधिक की आवासीय परियोजनायें (ग्रुप हाउसिंग एवं उपविभाजन) तथा 2500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में प्रस्तावित अनावासीय भवनों में वेस्ट वाटर / ग्रे-वाटर (रसोई एवं स्नानघर से एकत्रित वेस्ट वाटर) रिसाईक्लिंग का प्राविधान आवश्यक होगा। उक्त रिसाईकिल्ड वेस्ट वाटर का प्रयोग केवल बागवानी हेतु किया जायेगा।

6.7 **उर्जा प्रतीरक्षण (Energy Conservation)**

500 वर्गमीटर से अधिक के कन्डीशन्ड क्षेत्र हेतु Energy Conservation Building Code (ECBC)का अनुपालन आवश्यक होगा व उक्त ECBCके compliance हेतु सम्बन्धित मानचित्रों पर UREDAसे अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

6.8 **सोलर वाटर हीटिंग**

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर सयंन्त्र की स्थापना सोलर वाटर हीटिंग सयंन्त्र एव प्रणाली "ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टण्डर्ड" (B.I.S.) I.S. 12-09-0 33के अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी:-

(i) प्रसंस्करण हेतु गर्म पानी की आवश्यकता वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान,

# UTTARAKHAND BUILDING

# BYE-LAWS

## AND REGULATIONS – 2011

# (AMENDMENT 2016)

उत्तराखण्ड शासन
आवास विभाग,
संख्या–837/v–2–2016–127(आ0)/15–टी0सी0
देहरादून दिनांकः 03 जून, 2016

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–5 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विनियमित क्षेत्रों हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) प्रख्यापित किए जाने की स्वीकृति अधिसूचना संख्या–2015/V/आ0–2015– 55(आ0)/2006–टीसी, दिनांक 08.12.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– उक्त के कम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार भारत सरकार के Ease of Doing Business कार्यकम के तहत मांनचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियंता के पंजीकरण की व्यवस्था, तृतीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करानें, पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न प्राविधानानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2012 (संशोधन–2015) में संशोधनों को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति प्रदान की जाती है।

संलग्नः यथोक्त।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या–837/ v–2–2016–127(आ0)/15–टी0सी0–तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड ।
(2) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
(3) समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड को Ease of Doing Business कार्यकम के तहत कतिपय व्यवस्था भवन उपविधि में करने हेतु संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम की प्रति सहित प्रेषित।
(4) प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
(5) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना हेतु संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
(6) मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
(7) गार्डबुक/एन0आई0सी0, राचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः यथोक्त ।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव ।

objection/ recommendation shall be necessary.

**Rain water collection standard** 6.5 (i) Except the problem affected areas of water problem in other areas in different land utilization such all types of admissible construction works in which the land covering 125 sqrmt or above, there, water collection standard provisions shall be necessary.

(ii) With the determination of standard for rain water collection on covering upto the 250 sqrm minimum 2.0 cube meter management of rain water harvesting collection shall be essential whereas more than and upto 400 sqrm and 3.5 cube meter and after that every 50 sqrm or his any part of covering development on minimum 0.5 cube meter in addition @ of rain water collection provision shall be necessary.

(iii) If on the plot of more than 400 sqrm the land ground recharging provision is made by bore bale / recharge dig / well- hand pump/ trench, then in such conditions in calculated prescribed of 1/3 of the above standard shall be kept necessary for collection.

(iv) For the effected implementation of this the confirmation of the provisions of rain water harvesting, the sanctioning relating proceeding shall be made by the concerning agency after the questioned building map. For this purposes admissible area for land ground covering to the area of concerning concerning works from drainage and collection/ sewar shall not be include.

**waste water recycling** 6.6 In residential projects (group housing and sub-division) more than 2.0 heet and proposed non-residential buildings of plots of more than 2500 sqr,m, the recycling provisions shall be necessary for the waste water / gray water (collected waste water from kitchen and bath room). The use of said recycled waste water shall be made only for horticulture.

**Energy conservation** 6.7 For conditioned area more than 500 sqrm following of Energy Conservation Building Code (ECBC) shall be necessary and for compliance of said ECBC no objection certificate shall be obtained necessarily on the concerning maps from UREDA.

**Solar water heating** 6.8 For heating water in purposed building construction in any type of following buildings the solar water heating plants and systems shall be made according the requirement of Beuro Of